संख्याः 2040/VII-2–16 खादी/2006

प्रेषक,

डा0 हेमलता ढौंडियाल
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्योग,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 13 मई, 2008

विषयः वित्तीय वर्ष 2008–09 में आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत खादी वस्त्रों की विकी पर छूट योजना में धनराशि स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्र संख्याः 178/प्रस्ता0बजट/2008–09/उ0खा0ग्रा0बो0/2007–08 दिनांक 25–4–2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2008–09 में खादी वस्त्रों की बिकी पर छूट योजनान्तर्गत रू0 1,50,00,000 (रू0 एक करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि को व्यय करने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त धनराशि आपके निर्वतन पर इस आशय से स्वीकृत की जा रही है कि व्यय उन्ही मदों में किया जाय जिसमें धनराशि स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता नितांत आवश्यक है तथा इस संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता है, जिससे व्यय करने पर बजट मैनुअल अथवा वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लंघन होता हो।

3– उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 27 मार्च 2008 के प्रस्तर–7 के अनुसार सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) चार समान किश्तों में की जायेगी। अगली किश्त की धनराशि का व्यय तभी किंया जायेगा जब पिछली किश्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासनिक विभाग/वित्त विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

4– वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण का रजिस्टर बी0एम0–8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा और पूर्व के माह को व्यय का विवरण उक्त अधिकारी के द्वारा अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल की अध्याय–13 के प्रस्तर–116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा और प्रस्तर–128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा और नियमित रूप से सरकार/शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक (मा0 मुख्य मंत्री जी/मुख्य सचिव) कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर को अवगत कराया जायेगा। प्रशासनिक विभाग प्रस्तर–130 के आधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांकः 31.03.2009 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा। वर्षान्त तक स्वीकृत धनराशि के विपरीत वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह शासन

को उपलब्ध कराया जायेगा। व्यय के पश्चात् यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे दिनांकः 31.03. 2009 तक शासन को समर्पित किया जायेगा।

6— धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि उक्त मद में गत वर्ष स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि का पूर्ण उपयोग कर लिया गया है।

7— धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त रिवेट की धनराशि उन्हीं संस्थाओं को दी जा रही है जिनका चयन/पंजीकरण खादी ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार/खादी बोर्ड उत्तराखण्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अन्तर्गत किया गया हो। रिबेट की धनराशि का लाभ प्राप्त करने वाली संस्थाओं की सूची व इससे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार का विवरण भी शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

8— उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008—09 के अनुदान संख्या—23 के मुख्य लेखाशीषर्क, 2851—ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 00—आयोजनागत, 800—अन्य व्यय —03—खादी वस्त्रों की विकी पर छूट 00—50—उपादान के नामे डाला जायेगा।

9— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 964/XXVII(2)/2008, दिनांकः 06 मई, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 2040 (1)/VII-2—16 खादी/2006

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/कोषाधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
4. निजी सचिव—मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
6. अपर सचिव, नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन ।
7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, देहरादून।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग—2
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव।